



मध्यप्रदेश शासन
कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी, प्रमुख राजस्व आयुक्त
भोपाल (म.प्र.)

प्र.क्रं. RS/421/0110/14401/2025 /बी-121/2025

दिनांक 03/03/2025

स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र



प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कु. मंजू तोमर पिता/पति सत्यभान सिंह तोमर निवासी पी.एच.ई. कॉलोनी शर्मा फार्म रोड गिर्द, ग्वालियर, मध्य प्रदेश 474001 तहसील ग्वालियर जिला ग्वालियर (मध्यप्रदेश) राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र जारी किये जाने के लिए प्रभावशील ज्ञाप दिनांक 20/12/2011 में निर्धारित मापदण्ड की कण्डिका क्रमांक (i) की पूर्ति करने के फलस्वरूप मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी है।

2. * प्रमाणित किया जाता है कि मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक सी-3/17/1/3/2011 दिनांक 20/12/2011 के अधीन आवेदक द्वारा दिए विवरण अनुसार आवेदक की पत्नी*/अवयस्क बच्चे* जिनका विवरण नीचे वर्णित है, मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी है -

- (1) आवेदक के/की पति/पत्नी का नाम आयु वर्ष है।
- (2) आवेदक के अवयस्क पुत्र/पुत्री एवं आयु

टीप :- यह प्रमाण पत्र जाति निर्धारण के लिए जारी किये जाने वाले जाति प्रमाण पत्र की जाँच में साक्ष्य हेतु विचारार्थ ग्राह्य नहीं होगा।
(आवेदक द्वारा प्रस्तुत घोषणा पत्र के आधार पर जारी)

* लागू न होने पर काट दें।

Rama

रमादेवी कालवा
प्राधिकृत अधिकारी



नोट :- पंजीयन क्रमांक : RS/421/0110/14401/2025 जारी सर्टिफिकेट का सत्यापन वेबसाईट lokseva.gov.in अथवा <https://mpedistrict.gov.in> पर यह पंजीयन क्रमांक देकर किया जा सकता है।

प्रमाणित किया जाता है कि इस पत्र का प्रिंटआउट वेबसाईट <https://mpedistrict.gov.in> से मेरे द्वारा निकाला गया है।

हस्ताक्षर